न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 07/2013

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. बुद्धराम पुत्र श्री बनवारीलाल जाति धानक निवासी ग्राम जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 – फौत
1/1. कमलादेवी पत्नी स्व0 बुद्धाराम जाति धानक,
1/2. राजू पुत्र स्व0 बुद्धराम निवासीयान जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।
1/3. शकुन्तला पुत्री स्व0 बुद्धराम पत्नी सुभाषचन्द जाति धानक निवासी हाल राबड़का तहसील तिजारा जिला जिला अलवर राज0 ।
1/4. मंजू पुत्र स्व0 बुद्धराम पत्नी कृष्णकुमार जाति धानक निवासी तुराणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. माया पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धानक,
2. मामन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति धानक,
3. बिल्लू पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति धानक,
4. मामकौर पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति धानक निवासीयान ग्राम जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल निवासी ग्राम हासा का बालियर तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
5. दुल्ली चन्द पुत्र मल्लूराम धानका निवासी जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ जिला अलवर ।

..... प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 4
3. श्री जगदीश प्रसाद अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.05.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, बहरोड़ के निर्णय दिनांक 28.2.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 गत 1305/493 रकबा 2 बीधा जिसका हाल ख0 नं0 626 रकबा 13 ऐयर, 629 रकबा 31 ऐयर वाके ग्राम जौनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । उक्त विवादित आराजी वादी को सन् 1975 में सरकार द्धारा आवंटित की जाकर उसके नाम चढ़ायी जाकर रकबा वादी को दे दिया गया तथा तभी से वह बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है और अब मौके पर भी वही काबिज काश्त है । अन्य किसी व्यक्ति का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा ना ही मौके पर है । हाल सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के खिलाफ मौका व खिलाफ कानूनन हाल ख0 नं0 626, 629 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो इन्द्राज खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज किया गया है जो वादी के नाम दुरूस्त होने योग्य है । प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज की आड़ में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं तथा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे अन्य लोगों को रहन, बय व हिबा या अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है । इसलिए उन्हें पाबन्द किया जाकर दावा डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया लेकिन वे बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई । विद्धान तहत न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 28.2.2005 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 28.2.2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 1305/493 रकबा 2 बीधा वाके ग्राम जौनायचाखुर्द दिनांक 19.9.75 को आवंटित की गई जिसका पट्टा आवंटन दिनांक 13.11.75 को जारी किया गया है । अपीलांट के पक्ष में जमाबन्दी सम्वत् 2033 में तितम्बा काटकर तितम्बा स्वीकार होकर 1305/493 रकबा 2 बीधा वाके ग्राम जौनायचाखुर्द दर्ज किया गया है । अपीलांट गैर खातेदार आवंटन के बाद है । आवंटन दि0 19.9.75 को हुआ जिससे 10 साल बाद स्वतः खातेदार हो जाता है । अपीलांट का आवंटन आज तक भी कायम हैं तथा मौके पर हम काबिज हैं । विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 1305/493 के हाल ख0 नं0 626 रकबा 13 ऐयर, 629 रकबा 31 ऐयर कायम किये गये हैं । सैटलमेन्ट के दौरान पूर्व इन्द्राज नवीन सैटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर पर दर्ज किये जावेगें, उन हाल नम्बरान पर वादी/अपीलांट का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है । अपीलांट विवादित आराजी के मौके पर काबिज है जिसे साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने में तहत न्यायालय ने गलती की है । सैटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से इन्द्राज गलत दर्ज हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

गया जो बिना जांच किये किया है । रेस्पो0 तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादी / अपीलांट का दावा साक्ष्यों के आधार पर डिक्री किया जाना चाहिए था । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । वादी/अपीलांट ने तहत न्यायालय में जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है उस मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विवादित आराजी के खसरा नम्बरान का मिलान नहीं होता है । वादी/अपीलांट ने गलत खसरा नम्बरान पर तहत न्यायालय में वाद दायर किया था । विवादित आराजी अवाप्त हो चुकी है जो धारा 6 से प्रभावित होती है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2042–61 के अनुसार हाल ख0 नं0 626 रकबा 13 ऐयर साबिक ख0 नं0 1307/493 मिन रकबा 2 बीघा से कायम हुआ है तथा साबिक ख0 नं0 1305/493 मिन रकबा 2 बीघा से हाल ख0 नं0 633 रकबा 0.45 है0 कायम हुआ है । जमाबन्दी सम्वत् 2033 में ख0 नं0 1305/493 के बारे में काश्तकार के कॉलम में बुद्धराम पुत्र बनवारी लाल कौम धानक सा0देह गैर खातेदार अलाट 19.9.85 दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत् 2053 में ख0 नं0 626 व 629 के बारे में मु0 महादेई बेवा मुरली, लक्ष्मीनारायण पुत्र मुरली धानक सा0देह खातेदार दर्ज किया हुआ है । उक्त राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि साबिक ख0 नं0 1305/493 से हाल न0 633 कायम हुआ है जिसके बारे में वादी द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में स्पष्ट कर पाया है । जिन नम्बरों की वादी/ अपीलांट खातेदारी चाहता है वे उनके साबिक नम्बरों से मेल नहीं खाते हैं । इसलिए अन्य व्यक्ति के नम्बरों पर वादी/अपीलांट को खातेदारी हक प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया है वह सही इन्द्राज किया गया है । वर्तमान में विवादित आराजी अवाप्त हो चुकी है जो धारा 6 से प्रभावित होती है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह सही पारित की है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2005 यथावत रखी जाती है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner